

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 149 / ५०३० अवन/जून-१/२०१३-१४ दिनांक २५/०१/२०१४

अनुमति-पत्र

यह अनुमति आँख गार लिएजन एवा लिकाई अधिनियम १९७३ की धारा १२ ए १५ के अन्तर्गत है जोही है किन्तु अर्थ रह न समझना चाहिये। के उस नूमि के सन्वय गे जिता एवं व्यवसायिक मवन गानधिक र्योकृत किया जा रहा है, इससे केवी प्रकार या जिसी त्यानीय निलाय या इसका रखनीय अधिकारी या व्यक्ति कथना कर ले गे लिकाना अधिकारी पर लिखी जा लोइ ४८२ पड़ार अर्थात् यह अनुमति किसी के लिखित वा रथ में एवं अधिकारी के लिए लाई भावना न रखेंगी।

श्री गोपनीय अहमद शुज़् ख्वाज़ा जालील शहमद एवं श्रीमती शाहीका बानी पत्नी श्री मोहम्मद अहमद खासा शाह नं-३१/१ लिविल स्टेशन, एमजीप मार्ग, इलाहाबाद जौन संस्था (१) के अन्तर्गत अप्रसारित/आवासीय मवन निर्माण जी कुमुति हेतु व्यक्ति गवन मानकित के प्रस्तुति मार्ग पर निर्माण गी अनुमति निर्माकित प्रतिबंधों के अधीन प्रदन की जाएगी है:-

१. उत्तम गार लिकान एवं लिकाई अधिनियम १९७३ को भारा द्वारा (१) के प्रविधियों दे अनुकूल पूर्णता लगान पव ग्राम दोने ले पश्चात् ही उम्मीद/अधिकारी किया जायेगा। अवन निर्माण एवं लिलास उपरियोग २००० दे लपविष्ट संस्था-२१.६ एवं ३.१.८ दे निर्विश्व त्रिक्या पूर्ण कर पूर्णता प्राप्ति-पत्र दात करना आवश्यक है।
२. यह ल्योकृति कुनान्तेस (Provisional) लीकृति दे रुप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के लियान् सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की इत्त दुर्ग करने के पश्चात् निर्माण किये जाने वाले 'पूर्ण, द्रम्य-पत्र' ग्राप फरने के बाद ही इस परिस्त को यात्राविक उपयोग मे लाया जा सकता।
३. रुद्ध एवं ४X३ फैट का एक बोई लगाकर स्वीकृति समाप्ति दिग्रण अंकित करना होगा।
४. रुद्ध ५५ ०१ अद्द ५५ लगाने होने तक दूसी को उत्ता-भरा रखने का वायिल जारीपक गय होगा।
५. रुद्ध का अधिकार/उत्पाद रुद्धता प्रतिक्रिया के अनुसार ही करना होगा।
६. नान्यों व्यायाम मे कोही याता होने अथवा लगान होने की विस्ति मे पदता र्योकृति: ननीय व्यायाम और गिरिया के अदीन झोपी, व्यायिक सन्वय किसी भी विकार पर व्यायाम रुद्धता निर्माण जाएगा।
७. यदि आवेदक द्वारा जोहे रुद्धता पूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गत्ता रुद्धन द्वे गयी है तो उत्तम नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ (१) के अन्तर्गत नान्यों विरक्ति दिग्रण करने दोयग होगा।
८. यह स्वीकृति पत्र केवल पौंच गर्व की अल्पि गे लिए है।
९. गकान निर्माण से नाडी ताली के खाली की गती अथवा सड़क या नली के लियी भग (जो मकान गे जाइ भार, एवं भार अथवा उसके आकार के लाग लक रहे हो), ले लहने पूर्व तो गृहस्थाने हैंगा हो जाने पर १८ दिन के भीतर लागत यादि लिकास प्राधिकरण ने एक लियित शुभना हाया और शीक कहा तो उसे दी लसे अपने खर्चे ले नरमत करकर पूर्णपूर्ण सम्बन्ध लियावा लिकास को लाताप हो जर, मैं कर देगा।
१०. १८ निर्माण के स्वयं हस्ता भी ध्यान रखना होगा; कि गारसीट विद्युत अधिनियम १९६६ (प्रियदर्शन इलेक्ट्रिसिटी रुद्ध १९६६) नियम ३२ का उल्लंघन किसी भी दशा मैं द होन चाहिए, वारे लिकास प्राधिकरण की जानकारी ऐसे गापले जाये गये हो तब ऐसे निर्माण को शेक अथवा टट्या रुद्धता है:
११. आवेदक को लिकासार लिकाई प्राधिकरण ले नकान जी गीव तक तथा उत्ता-भरा दे जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने ले तुकना गशन आवे न होने से पूर्ण देना होना यथा जरा फारमे का नाम भी देना दोगा लिकास के निरीक्षण मे मत्ता। निर्माण हुआ है।
१२. यदे निर्माण मे भास्तु लाल का उल्लंघन होता पाया गया हो लियापत्ता को दै गई स्वीकृति रुद्ध रामझी जाएगी और किया नया निर्माण अनविलू अधिकार का उत्तम अधिकार के घरा २७ (१) के अन्तर्गत कार्यालयी अस्त गी जाएगी।

(प्रियदर्शन भेद)
एनसी अधिकारी (रुद्ध) २
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
हसाहाबाद

